

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1355]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2014/आषाढ़ 6, 1936

No. 1355]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2014/ASHADHA 6, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2014

का.आ. 1624(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 924(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 29 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

- (i) क्रम संख्या (4) के सामने, कॉलम (3) में भूखण्ड, कि.मी. 340.860 से कि.मी. 368.500 तक के लिए, कॉलम (2) में प्रविष्टि "प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा कलेक्टर कार्यालय गुना" के स्थान पर, प्रविष्टि "अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राघौगढ़" प्रतिस्थापित की जाएगी।
- (ii) कॉलम संख्या (1) में, क्रम संख्या "(4)" में प्रविष्टि के पश्चात्, प्रविष्टि "4(क)" और कॉलम (3) में भूखण्ड, कि.मी. 368.500 से कि.मी. 370.950 और कि.मी. 370.950 से कि.मी. 404.220 तक के लिए, कॉलम (2) में प्रविष्टि, सक्षम प्राधिकारी "अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चाचौड़ा" अंतःस्थापित की जायेगी।

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआईयू/गुना/2014]

माया प्रकाश, निदेशक

पाद टिप्पणी :-मूल अधिसूचना का.आ. 924(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 29 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th June, 2014

S.O. 1624(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport and Highways number S.O. 924(E), dated the 29th April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 29th April, 2011, namely :—

- (i) The entry against serial no. (4) in column (2) "Officer Incharge Land Acquisition Branch Collector Office Guna" shall be substituted with "Sub-Divisional Officer (Revenue), Raghogarh" for stretch of land in column (3) Km. 340.860 to Km. 368.500 only.
- (ii) In column (1) after the entry at serial no. "(4)" the entry "4(a)" and its corresponding entry in column 2 the competent authority "Sub-Divisional Officer (Revenue), Chachoda" shall be inserted for the stretch of land in column (3) Km. 368.500 to Km. 370.950 and Km. 370.950 to Km. 404.220.

[F. No. NHAI/PIU/GUNA/2014]

MAYA PRAKASH, Director

Foot note.—The principal notification was published *vide* S.O. 924(E), dated 29th April, 2011, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 29th April, 2011.